PAGE 1 OF 3	अभियोजन साक्षी संख्याः 06

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-06 जनपद – कानपुर देहात।		
सत्र वाद संख्या- 1812/2024		
राज्य	**बनाम**	दीपा उर्फ नेहा आदि

नाम साक्षीः जितेन्द्र कुमार तिवारी पुत्र श्री सी०एस० तिवारी	अपराध संख्या-208/2024
उम्रः लगभग 36 वर्ष, पेशाः उपनिरीक्षक	धारा- 103(1) भारतीय न्याय संहिता
वर्तमान तैनाती पता साक्षीः थाना कोतवाली, जनपद-औरैया	थाना-शिवली, कानपुर देहात।

दिनांकः10.04.2026

मैं **साक्षीः जितेन्द्र कुमार तिवारी पुत्र श्री सी०एस० तिवारी, उम्रः लगभग 36 वर्ष, पेशाः उपनिरीक्षक, वर्तमान तैनाती पता साक्षीः थाना कोतवाली, जनपद-औरैया** शपथपूर्वक यह बयान करता हूँ कि.....

1. दिनांक 04.07.2024 को मैं थाना शिवली में चौकी प्रभारी चौकी मैथा के पद पर कार्यरत था। उसी दिन की रात्रि समय 23:26 बजे थाना कार्यालय द्वारा जरिए फोन से मुझे सूचना दी गयी थी कि मृतक विनीत उर्फ मंजुल पुत्र स्व० रमेशचन्द्र निवासी ग्राम हथिका थाना शिवली कानपुर देहात जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष है, की मृत्यु हो गयी है। मृतक का शव सीएचसी शिवली में रखा है। आप जाकर पंचनामा की कार्यवाही संपन्न करायें।

2. उपर्युक्त सूचना के लगभग एक घंटे बाद सीएचसी शिवली पहुँच गया था। मृतक का शव सीएचसी शिवली में स्ट्रेचर पर रखा था। नावक्त होने के कारण पंचनामा की कार्यवाही सीएचसी में नहीं की गयी थी और शव को उचित माध्यम से मोर्चरी हाउस अकबरपुर कानपुर देहात भेजा गया था।

3. मेरे द्वारा दिनांक 05.07.2024 को मोर्चरी हाउस अकबरपुर कानपुर देहात पहुँचकर पंचनामा की कार्यवाही शुरु की गई थी। मृतक के परिजन मौजूद थे। उन्हीं में से पंच नियुक्त किए गए थे। मृतक के शरीर का निरीक्षण किया गया था। मृतक के दाएं बाजू, पीठ पर नीलगू निशान, दायें हाथ पर चोट के नीलगू निशान, दोनों हाथ के पंजों पर नीलगू निशान, दायें हाथ की पहली अंगुली पर चोट का निशान, छाती पर चोट व नीलगू निशान मौजूद था।

4. पंचो ने अपनी राय व्यक्त की थी। मृतक के शव को काले बाडी बैग में रखकर सीलसर्वमुहर किया गया था। पंचनामा रिपोर्ट मेरे हस्तलेख में है। जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिस पर **प्रदर्श P-5** अंकित किया गया।

5. सी०एम०ओ० चिट्ठी, पुलिस फॉर्म सं०-33, पुलिस फॉर्म सं०-32, फोटोनाश भी मेरे हस्तलेख में है। जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिन पर **प्रदर्श P-6 लगायत प्रदर्श P-9** अंकित किया गया।

6. मृतक का शव, पंचनामा रिपोर्ट व अन्य दीगर प्रपत्र मुख्य आरक्षी मनोज पटेल व होमगार्ड सूर्यपाल को पोस्टमार्टम हेतु सुपुर्द किया गया था।

7. उपरोक्त मुकदमें के विवेचक ने मेरा बयान अंकित किया था।

प्रतिपरीक्षा

8. मुझे जानकारी नहीं है कि पंचनामा होने से पहले एफआईआर दर्ज हुई थी या नहीं। थाने से मुझे पंचनामा भरने वाले प्रपत्र उपलब्ध कराये गए थे। इन प्रपत्रों में सूचना फौती व नकल रपट थी। फौती सूचना वार्ड व्वाय द्वारा दर्ज करायी गयी थी। मुझे फौती सूचना का जीडी इन्द्राज प्राप्त हुआ था। पंचनामा प्रपत्रों के साथ मुझे एफआईआर की कापी नहीं दी गयी थी।

9. नावक्त (रात) होने के कारण सीएचसी में शव का पंचनामा नहीं हो सका। चूंकि सूचना मुझे 23:26 बजे रात्रि में मिली थी। इसके बाद मैंने थाने जाकर पंचनामा के प्रपत्र प्राप्त किए।

10. घटना के अगले दिन मैंने अकबरपुर स्थित मोर्चरी हाउस में पंचनामा की कार्यवाही की थी।

11. **प्रश्नः** क्या आप पत्रावली पर मौजूद पंचनामा देखकर बता सकते हैं कि मैथा जहाँ पर मृतक निवास करता था वहाँ के गवाह बनाये थे या नहीं ?

उत्तरः चूंकि पत्रावली दौरान पूछताछ माननीय न्यायलय में है। अतः मुझे याद नहीं है कि पंचान मैथा के थे या नहीं।

12. इस संबंध में मुझे याद नहीं है कि पंचों ने मुझे यह बताया था कि दीपा उर्फ नेहा व उसके साथी द्वारा मारपीट कर मृतक की हत्या की गई है या नहीं।

13. मैंने आज अपनी मुख्य परीक्षा में पंचनामा के समय पंचों द्वारा जो राय दी गई थी उसे मैंने आज अंकित कराया है। गवाह ने मुख्य परीक्षा देखकर बताया कि मैंने

आज जो न्यायालय में मुख्य परीक्षा का बयान दिया है उसमें पंचों की राय के बारे में कुछ भी अंकित नहीं है।

14. मुझे यह भी याद नहीं है कि पंचनामें के समय मृतक की माँ मौके पर मौजूद थी या नहीं।

15. पंचनामा भरने के समय मृतक के शरीर पर केवल बनियान और चड्ढी थी। मुझे यह भी याद नहीं है कि मृतक के कपड़ों पर खून लगा था या नहीं।

16. मैंने मृतक के शरीर पर लगीं चोटों को स्वयं देखा था। मृतक के सीने पर चोट का नीलगू का निशान था। मृतक के दोनों पैरों के पंजों में चोटें थीं। मृतक के शरीर पर लगी किसी भी चोट से खून बहता हुआ नहीं दिख रहा था।

17. यह कहना गलत है कि मैंने पंचनामें की कार्यवाही नियमानुसार न की हो।

18. यह भी कहना गलत है कि मैंने वादी के प्रभाव में पंचनामें में गलत इन्द्राज किए हों।

मेरे बोलने पर आज यह बयान
रीडर द्वारा टंकित किया गया सुनकर तस्दीक किया।

HANS PRAKASH DIXIT